

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ0)/2015

देहरादून २ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1794 / V-2 / 2017-05(आ0) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चमोली का गठन किया गया है। सम्प्रति उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चमोली का निम्नानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क— अध्यक्ष	आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, चमोली
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ङ— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम	
अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	

—
(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या —/V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


आज्ञा से,

—
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या १९३८(२) / व-२/ ६०(आ०)१५/ २०१७ तदिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- ४— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ५— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ६— जिलाधिकारी, चमोली।
- ७— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चमोली।
- ८— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- ११— गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ०)/2015
देहरादून २२ नवम्बर, 2017
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1796 / V-2 / 2017-05(आ०) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण रुद्रप्रयाग का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण रुद्रप्रयाग का निम्नानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क— अध्यक्ष	आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य (अमित सिंह नेगी) सचिव।

संख्या — /V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)


सयुंक्त सचिव।

संख्या १९३९(२)
संख्या /V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 6— जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रुद्रप्रयाग।
 8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
 10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
 11— गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

 (प्रेम सिंह राणा)
 अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ०)/2015

देहरादून २५ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1798 / V-2 / 2017-05(आ०) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पौड़ी का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पौड़ी का निम्नानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क— अध्यक्ष	आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, पौड़ी
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम	
अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— महानगरपालिका के सभासदों में	
से निर्वाचित चार सदस्य,	सदस्य (निर्वाचित)
अ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या ← /V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या १९५०(२)
/V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— जिलाधिकारी, पौडी।
- 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पौडी।
- 8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- 11— गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या:— /V-2/2017-60(आ०)/2015

देहरादून २२ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1800 / V-2 / 2017-05(आ०) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी का निम्नानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क— अध्यक्ष	आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य

—
(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या — /V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुड़की, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

—
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या १९४/२/V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उत्तरकाशी।
- 8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- 11— गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या:—/V-2/2017-60(आ०)/2015
देहरादून २२ नवम्बर, 2017
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1802 / V-2 / 2017-05(आ०) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 के उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी का निम्नानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क— अध्यक्ष	आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, टिहरी
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम	
अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियों मुद्रित करते हुए प्रतियों शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या १५२/२/६०(आ०)१५/२०१७ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, टिहरी।
- 7- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), टिहरी।
- 8- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10- सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- 11- गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

अम्बा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ०)/2015
देहरादून २२ नवम्बर, 2017
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1802/V-2/2017-05(आ०)/2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पिथौरागढ़ का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पिथौरागढ़ का निमानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क— अध्यक्ष	आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य

—
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या —/V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियों मुद्रित करते हुए प्रतियों शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


आज्ञा से,

—
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या १४३/८२/६०(आ०)१५/२०१७ तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायू।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), पिथौरागढ़।
- 8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- 11— गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ0)/2015
देहरादून २२ नवम्बर, 2017
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1806 / V-2 / 2017-05(आ0) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बागेश्वर का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण बागेश्वर का निम्नानुसार पुर्नगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क— अध्यक्ष	आयुक्त कुमार्यू मण्डल, नैनीताल
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, बागेश्वर
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम	
अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य

—/
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या —/V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।


प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियों मुद्रित करते हुए प्रतियों शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
—/
(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या/७६८/V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समर्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बागेश्वर।
- 8— उपाध्यक्ष, समर्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— सचिव, समर्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / गंगोत्री।
- 11— गार्ड पत्रावली / एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या:—/V-2/2017-60(आ0)/2015

देहरादून २२ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1808 / V-2 / 2017-05(आ0) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत का निम्नानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क— अध्यक्ष	आयुक्त कुमार्यू मण्डल, नैनीताल
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, चम्पावत
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम	
अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या—/V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या १५४५/२/६०(आ०)१५/२०१७ तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढवाल एवं कुमायूँ।
- ४— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ५— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ६— जिलाधिकारी, चम्पावत।
- ७— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), चम्पावत।
- ८— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- ११— गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,
(Yom)
(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ०)/2015

देहरादून २५ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1818/V-2/2017-05(आ०)/2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर का गठन किया गया है। सम्प्रति उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा—04 की उपधारा—7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंहनगर का निम्नानुसार पुर्णगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क— अध्यक्ष

आयुक्त कुमार्यू मण्डल, नैनीताल

ख—उपाध्यक्ष

उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंहनगर

ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके

द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके

द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

ङ— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा

उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम

अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा

उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

ज— जिलाधिकारी अथवा

उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति

सदस्य (पदेन)

झ— महानगरपालिका के समासदों में

से निर्वाचित चार सदस्य,

सदस्य (निर्वाचित)

ज— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,

सदस्य

—
(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या —/V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियॉ मुद्रित करते हुए प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)

सयुंक्त सचिव।

संख्या 1946(२)/V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायू।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उधमसिंहनगर।
- 8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार / देहरादून।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून / गंगोत्री।
- 11— गार्ड पत्रावली / एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग-2

संख्या:— /V-2/2017-60(आ०)/2015
देहरादून २२ नवम्बर, 2017
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1810 /V-2/2017-05(आ०)/2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा का गठन किया गया था। उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-04 की उपधारा-7 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा का निमानुसार पुर्नगठन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क— अध्यक्ष	आयुक्त कुमायू मण्डल, नैनीताल
ख—उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके	
द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ड— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम	
अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा	
उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित,	सदस्य

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या— /V-2/60(आ०)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
सयुंक्त सचिव।

संख्या १७८८८/२) ६०(आ०)१५/२०१७ तदिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- २— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ३— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायू।
- ४— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- ५— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ६— जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
- ७— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अल्मोड़ा।
- ८— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- ९— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- १०— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- ११— गार्ड पत्रावली/एन०आई०सी०।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या: —/V-2/2017-60(आ०)/2015

दहरादून २५ नवम्बर, 2017

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या—1814 / V-2 / 2017-05(आ०) / 2017, दिनांक 13.11.2017 द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का गठन किया गया है। कार्यालय ज्ञाप संख्या—2168 / V / आ०—2005-236(आ०) / 2005, दिनांक 22.11.2005 को अधिकमित करते हुए उत्तराखण्ड नगर एवं एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 (समय—समय पर यथा संशोधित) की धारा—04 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का निम्नानुसार पुर्णगठन करते हैं:-

क— अध्यक्ष	आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल
ख—उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल
ग— सचिव आवास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
घ— सचिव वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ङ— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
च— प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
छ— मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
ज— जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति	सदस्य (पदेन)
झ— महानगरपालिका के सभासदों में से निर्वाचित चार सदस्य,	सदस्य (निर्वाचित)

अ— तीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित, सदस्य

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या — /V-2/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि : सयुंक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रुडकी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट की 100 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)

सयुंक्त सचिव।

संख्या १९८५-२/60(आ)15/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— सचिव, नियोजन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ।
- 4— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6— जिलाधिकारी, नैनीताल।
- 7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), नैनीताल।
- 8— उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून।
- 9— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 10— सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/गंगोत्री।
- 11— गार्ड पत्रावली/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।